गर्ल्स स्कूल से लड़कियां लाता था राम रहीम, गुफा में बना रखा था स्विमिंग पूल

पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दो साध्वियों का रेप करने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह लोहान ने 10-10 साल की सजा सुनाई। बलात्कार केस में जेल जाने के बाद से बाबा गुरमीत की अय्याशियों के कई किस्से सामने आने लगे हैं। एक चैनल की खबर के अनुसार, बाबा जहां रहता था वहां एक ऐसी गुफा थी, जहां वह रोज नई-नई लड़कियों के साथ अय्याशियां करता था। गुरमीत रहीम के रोज नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं। बाबा के पूर्व डेरा प्रेमी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा की बाबा राम रहीम रोज नई लड़की के साथ अय्याशियां करता था। उनका कहना है कि बाबा की गुफा का एक दरवाजा गर्ल्स स्कूल के कैम्पस में खुलता था। वहां से वह रोज लड़कियों को चुनकर लाता था। डेरा प्रेमी के अनुसार बाबा लड़कियों से जानवरों की तरह व्यवहार करता था। वह रोज नई-नई लड़कियां लाता था। उन्होंने बताया कि गुफा के एक हॉल में स्विमिंग पूल भी था, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी।

डेरा प्रेमी ने बताया यह गुफा प्रिंटिंग प्रेस के पास थी, कभी-कभी हमारी वहां ड्यूटी लगती थी। बाबा की गुफा से रोज आधी रात को चीखने की अवाज सुनाई देती थी। फिर

कुछ देर बाद गुरमीत गुफा के ऊपर वाले हिस्से में आकर खिड़कियां खोलता था। उन्होंने बताया कि जब साध्वियों ने मुझे अपना दर्द बताया तो मैंने 2002 में डेरा छोड़ दिया था।

गुफा के अंदर रहती थी 200 से ज्यादा साध्वियां

बाबा जहां रहता था, उसे कहा तो गुफा जाता था, लेकिन असल में वह जगह किसी राजमहल से कम नहीं थी।

यहां तक कि उसने अपने लिए राजाओं की तरह हरम तक बनवा रखा था, जिसमें 200 से ज्यादा सुंदर साध्वियों को रखा गया था। इनमें से 30 साध्वियां रोजाना बाबा की सेवा में तैनात की जाती थीं। ये साध्वियां अब डेरे से गायब हो चुकी हैं। बाबा को खाने-पीने का काफी शौक था। बाबा को एक्टर और गायक बनने का भी शौक था। गुरमीत के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने ये सारी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा 200 से ज्यादा साध्वियों के साथ रहता था। यहां पुरुषों के आने पर पाबंदी थी।

डेरे के अंदर जीता था महाराजाओं जैसी लाइफ

डेरे में रह चुके उसके कर्मचारी अब बता रहे हैं कि राम रहीम किसी महाराजा जैसी जिंदगी जीता था।

बाबा शीश महल में रहता था। उसे राजाओं जैसी पोशाकें पहनने का शौक था। उसके लिए ऐसी पोशाकें रोजाना तैयार करवाई जाती थीं, जिन्हें बाबा खुद ही डिजाइन करवाता था। इसके अलावा बाबा के पास 200 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां थीं। इनमें कई गाड़ियां कई-कई करोड़ की थीं, जिनकी डिजाइन भी बाबा ने खुद तैयार करवाई थी।गुफा आने का होता था कोड वर्ड खुद को रॉकस्टार समझने वाले बाबा के डेरे में बलात्कार शब्द का के लिए एक कोड वर्ड था। बाबा अपनी गुफा में जिन महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था, उसे गुरमीत राम रहीम की ओर से मिली 'माफी' कहा जाता था। जब भी किसी महिला या युवती को राम रहीम के आवास यानी उसकी गुफा में भेजा जाता था, बाबा के चेले उसे %बाबा की माफी% बताते थे। **-दैनिक भास्कर से साभार**

राम रहीम के मामले से जुड़ी वह 10 बातें जिसने आम आदमी को झकझोर के रख दिया

राम रहीम को अदालत ने अपने डेरे में अपनी ही अनुयायी के साथ बलात्कार के मामले में 15 वर्ष बाद दोषी करार दे दिया है। उसके सिरसा डेरे में और पंचकुला अदालत के बाहर एकत्रित होने दिए गये अनुयायियों की भारी भीड़ ने जमकर हिंसा और आगजनी की।

निष्क्रिय खट्टर शासन को चेतावनी के क्रम में उच्च न्यायालय ने डीजीपी को हटाने से लेकर सरकार की राम रहीम से राजनीतिक मिलीभगत होने जैसी टिप्पणियाँ भी कीं। पुलिस कार्यवाही में 38 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

राम रहीम के प्रेमी (अनुयायी) बेशक उसे अपनी नजरों से न गिराएं, पर उसके विरूद्ध एक आक्रामक राष्ट्रीय माहौल बन गया है। इसमें सुविधानुसार हीरो और विलेन जा रहे हैं। जहाँ यह माहौल एक वृहत्तर त्रासदी का बैरोमीटर है, वहीं इसमें निहित आयाम भी समझे जाने चाहिए। आइये देखें, एक सामान्य नागरिक के लिए इस अराजक त्रासदी के दस निहितार्थ क्या हैं?

1-अदालत के पास भरपूर अवसर है कि निर्भया कांड के बाद वर्मा कमीशन के संशोधित बलात्कार कानून के मुताबिक राम रहीम को आजीवन कारावास का कठोरतम दंड दे। न केवल इस मामले में जघन्य सीरियल बलात्कार हुआ है, बल्कि कहीं अधिक गंभीर है कि आरोपी का पीड़ित से गुरु-शिष्य का रिश्ता, एक अधिकारपूर्ण सम्बन्ध था जिसका उसने दुरुपयोग किया।

2- दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 को लेकर भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह ठीक है कि इसे लगाने में देरी शासन-प्रशासन की आरोपी से मिलीभगत का सूचक है, लेकिन यह धारा अपने आप में कोई रामबाण नहीं हो सकती थी, जब तक पुलिस की नीयत प्रेमी गिरोह के इरादों को कुचलने की नहीं होती।

3-हिंसा की नीयत और तैयारी के साथ आने वाले 'प्रेमियों' को रोकने और गिरफ्तार करने की कानूनन शक्ति वैसे भी पुलिस के पास है, बेशक धारा 144 न भी घोषित हो।

4-रामपाल प्रसंग के अनुभव, प्रेमी गिरोह की तैयारियों और उपलब्ध सूचना के आधार पर पुलिस का सहज निष्कर्ष यही हो सकता था कि गुरु के दोषी करार दिए जाने की सूरत में प्रेमी गिरोहों की ओर से नियोजित हिंसा की जायेगी। यद्यपि फैसला सुरक्षित था, लेकिन मुकदमे पर नजर रखने वाले जानते थे कि संभावना दोष सिद्ध होने की पूरी है।

5-प्रेमी गिरोह ने बजाय पंचकुला के सिरसा में ही मोर्चा खोलने के विकल्प पर भी विचार किया था। उस हालत में राम रहीम सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में पंचकुला जाने के बजाय डेरे में ही बना रहता। हजारों प्रेमी वहां डेरे में तैयारी के साथ पुलिस का मुकाबला करने पहुँच चुके थे। यहाँ तक कि प्रेमियों के सैकड़ों स्कूली बच्चों को डेरा स्कूलों के हॉस्टल में मानव कवच के रूप में रखा हुआ था। यदि ऐसा होता तो न जाने कितनी जानें जातीं।

6-राम रहीम का 'धन धन सतगुरु' एक सोशल क्लब के रूप में काम कर रहा था। पुराने वृहत्तर ग्रामीण पंजाब (आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल) में धर्म स्थल और राजनीतिक वर्चस्व का एकाधिकार प्रभावी जातियों के पास रहा है। लिहाजा पिछड़ों का झुकाव ऐसे डेरों के प्रति हो जाता है। इनमें युवाओं के प्रेम संबंधों को लेकर अधिक उदारता है और शराब, अफीम जैसे नशे के विरुद्ध पूरी कट्टरता। डेरा मुख्यालय ही नहीं, प्रेमियों के जगह-जगह मिलन ठिकानों का भी समूचे परिवारों के लिए एक आकर्षण साप्ताहिक पिकनिक केंद्र होने का भी है।

7- ग्रामीण परिवेश के एक प्रेमी को यदि थाना-तहसील से काम पड़ जाए, सरकारी सामाजिक योजनाओं का फायदा चाहिए तो उसे किसी रसूखदार से फोन करवाना जरूरी हो जाता है। विधायक और उच्च वर्ग उसकी पहुँच से बाहर हो गया है। राम रहीम की राजनीतिक पहुँच उसके काम आ जाती है। आरक्षण हिंसा के बाद मैंने एक नागरिक कमीशन के रूप में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पर पाया कि प्रेमियों को सरकारी हर्जाना राम रहीम के फोन पर अपेक्षाकृत जल्दी मिल गया था।

8-राजनीतिकों के लिए राम रहीम एक चतुर वोट बैंक बना हुआ था। पहले कांग्रेस और इनेलो के लिए और अब भाजपा के लिए। उसका फैसला भाजपा के लिए बड़ी आपदा से कम नहीं। जहाँ तक हो सका पार्टी और सरकार ने इसके 'बुरे' प्रभाव से आँख मूंदने की कोशिश की। उच्च न्यायालय के सीधे दखल से वे अंततः बेनकाब हो गए। राजनीतिकों का काला धन भी ऐसे धार्मिक संस्थानों में 'पार्क' होना आम है।

9-कोई भी आपराधिक मुकदमा, विशेषकर जिसमें बेहद पहुँच और पैसे वाले लोग आरोपी हों, मुख्यतः सही विवेचना, अभियोजन और मजबूत पैरोकारों के दम पर ही कामयाब होता है। राम रहीम की सजा भी इसी समीकरण से संभव हुयी। कुछ माह पूर्व मुझे इस मोर्चे पर डटे चंद पैरोकारों से मिलने का अवसर मिला था और वे विवेचना और अभियोजन पक्ष के प्रति आश्वस्त ही नहीं कृतज्ञ भी थे।

10-अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्च न्यायालय हर मामले में दरोगा की भूमिका नहीं निभा सकता। मैं अपने अनुभव से यह भी कह सकता हूँ कि यदि पुलिस को ही अपने ढंग से स्थिति से निपटने दिया जाता तो आगजनी ज्यादा होती लेकिन मौतें कम। राम रहीम को अदालत से हेलिकॉप्टर में ले जाने से सैकड़ों मौतों को टाला जा सका।

क्या हम साक्षात् नहीं देख पा रहे कि देश के सत्ता प्रतिष्ठानों को कानून सम्मत पुलिस व्यवस्था नहीं चाहिए। उन्हें अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कानून चाहिये जिन्हें तोड़-मरोड़कर किसी को भी बंद किया जा सके और किसी को भी छोड़ा जा सके।

इसके लिए उन्हें स्वामिभक्त पुलिस चाहिए। दुनिया का अनुभव बताता है कि एक नागरिक संवेदी पुलिस ही जवाबदेही के लोकतान्त्रिक मानदंडों पर खरी उतर सकती है। तब तक अन्य सारी बातें दिखावा ही रहेंगी।

-विकास नारायण

राम-रहीम भक्तों की व्यथा

बलात्कारी राम रहीम की ड्रामेबाज़ी और बीजेपी के उसके साथ शर्मनाक गठजोड़ में प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू अछूता रह गया-वो है उसके भक्तों की व्यथा। पंचकूला में अदालत के निर्णय के बाद मचे तांडव और उसमें मीडिया जनों की पिटाई के बाद सभी ने राम रहीम के सभी अनुयायिओं को एक शैतान और मूर्ख के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। इसमें वो कारण गुम हो गये जिनके कारण वो उसके अनुयायी बने।

राम रहीम के भक्तों में बहुत ही बड़ी संख्या पंजाब के दलितों की है। ये वो लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वहां प्रताड़ित थे। यहां तक कि बाबा नानक का शुरू किया सिख धर्म भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिला पाया। लगभग सभी मुख्य गुरूद्वारों से उनको बाहर कर दिया गया और सामाजिक व्यवहार नाते रिश्ते में भी जट सिख और अन्य सम्पन्न जातियों ने उनको नीचा दर्जा ही दिया। इस अन्याय और असमानता ने इन सभी को डेरा सच्चा सौदा की तरफ़ आकर्षित किया और उसकी बातों से उन्हें लगा कि यहां उनके दुख दर्द दूर होंगे। कुछ लोगों को तो उसके तारणहार व चम्तकारी होने का इतना विश्वास था कि उनको ये पूरा विश्वास था कि 25 अगस्त को बाबा चमत्कारिक ढंग से पंचकूला और सिरसा दोनों जगह एक साथ उपस्थित होकर विरोधियों को गलत साबित कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भक्त इस घटना से ऐसे स्तंभित रह गये कि जैसे उन्हें आसमान में स्वर्ग से धरती पर पटक दिया गया हो। बाबा द्वारा तैयार रखे गये गुंडों को छोड़ दें तो अधिसंख्य इसी श्रेणी में हैं और वे सब बड़े सदमें की स्थिति में हैं।

निश्चित रूप से बाबा के ये भक्त ना तो शैतान थे और ना ही मूर्ख। वे एक असमानता और अन्यायपूर्ण समाज से मुक्ति पाने की इच्छा लेकर डेरे में आये थे और बाबा राम रहीम ने उनका भावनात्मक शोषण किया, मूर्ख बनाया और उनके संख्याबल के दम पर अपनी राजनैतिक पैठ बनाकर अपना उल्लू सीधा किया। बाबा के विश्वासघात की बात अभी धीरे-धीरे उनके सामने स्पष्ट हो रही है। लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि अपने दुखों व उत्पीड़न से निजात पाने के लिये जायें तो जायें कहां। सरकार का हाल तो उन्होंने देख ही लिया कि उसको सिर्फ़ बाबा चाहिए वो नहीं, उनके एकमुश्त वोट पाने के लिये। ऐसे में वो सभी एक चौराहे पर खड़े हैं।

इसलिये इस स्थिति में सभी वैज्ञानिक सोच वाले संगठनों का और पार्टियों का यह कर्त्तव्य बनता है कि वो इन लोगों को उचित रास्ता दिखायें जिनमें उनके दुख दूर हो सकते हैं। आज उनको मूर्ख और गुंडा बताने की बजाय उनसे बातचीत करने, सहारा देने, समतामूलक और न्यायपूर्वक समाज का रास्ता दिखाने की जरूरत है ताकि फ़िर वो किसी दूसरे राम रहीम के पास जाकर ना फंसे।

-अजातशत्रु

क्या गोडसे को दफन कर पाएंगे मोदी.....

पेज दो का शेष

धार्मिक रिवाज को संवैधानिक रूप देना धर्म का शासन लागू करने की प्रक्रिया है, आपके धर्म में पूजा में जूते उतारे जाते हैं तो आप चाहें तो झंडा या राष्ट्रगान में जूता उतार लें। लेकिन आपके धार्मिक रिवाज दूसरे लोग भी मानें यह जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते।

बजरंग दल द्वारा हिन्दू धर्म के रिवाजों को दूसरों पर जबरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही है। खतरनाक बात यह है कि पुलिस इसमें दखल नहीं देती, इसलिए ये साम्प्रदायिक गुंडे मनमानी कर रहे हैं। गांधीजी के समय में एक बार कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज के सामने नारियल फोड़ा गया और आरती उतारी गई तो गांधीजी ने उसका विरोध किया।

भारत के संविधान के द्वारा यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी राष्ट्रीय और धार्मिक मामले अलग-अलग होंगे, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय कार्य में धार्मिक रीति रिवाज पालन न करने वालों को गालियाँ देंगे और उन लोगों का जुलूस निकालेंगे, तो यह तो संविधान पर ही हमला हो गया।

संविधान कुछ इस तरह से होता है जैसे किसी खेल के नियम होते हैं, अगर आप उसे ही बदल दें तो खेल ही बदल जाएगा, जैसे अगर आप फुटबाल के खेल में हॉकी लेकर फुटबाल खेलने लगें तो वह तो खेल ही बदल जाएगा। फिर उसे फुटबाल का मैच नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह अगर आप भारत की धर्म निरपेक्षता को ही खत्म कर देंगे तो फिर तो यह भारत ही नहीं बचेगा, अगर आप भारत को ही नहीं रहने देना चाहते तो फिर मजे से नष्ट कीजिये संविधान को। जिस देश पर आप हिंदुत्व के कब्जे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वही नहीं बचेगा।

आप फुटबाल का मैच हॉकी लेकर खेलेंगे और दूसरी टीम के खिलाड़ियों के सर फोड़ देंगे तो आपको विजेता नहीं माना जाएगा, बल्कि मैच ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए संघियो, बजरंगियो, भाजपाइयो भारत के संविधान पर हमला मत करो, वरना कहीं जीतने की बजाय मैच ही न कैंसिल करवा बैठो।

एक वर्ष पहले, पंद्रह अगस्त 2016 के अवसर पर भी मोदी ने लाल किले से एक और चेतावनी जारी की थी, गौसेवा के नाम पर सक्रिय लम्पट अपराधी गिरोहों को लक्ष्य कर। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गौ रक्षक के रूप में 70-80 प्रतिशत अपराधी तत्व सक्रिय हैं औरपुलिसको उनसे निपटना चाहिए।

कुछ ही दिन बाद पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार का लगाया, राज्य गौ सेवा बोर्ड का प्रधान, सोडोमी और फिरौती के सीरियल अपराधी के रूप में पकड़ा भी गया। लेकिन मोदी को जवाब मिलते ज्यादा देर नहीं लगी। भाजपायी राज्यों में पशु व्यापारियों और पशु कामगारों पर बेलगाम हमलों की जो श्रृंखला सामने आयी, वह क्रम आज भी जारी है।

मोदी का घोषित गोडसे क्षण तो जब आएगा तब आएगा, आएगा भी या नहीं, फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। हालाँकि वे तीन तत्व पहचाने जा सकते हैं जो कॉर्पोरेटवादी मोदी को मूक और 'आस्थावादियों' के निशाने पर चिह्नित नागरिक समूहों को असहाय रखते हैं।

दिखाया बेशक जाता है कि भाजपा और आरएसएस समेत हिंदुत्व के तमाम अनुषांगिक संगठन मोदी के नेतृत्व में खड़े हैं। दरअसल, वे मोदी के पीछे नहीं, मोदी उनके आगे खडे हैं। यह समीकरण बदला नहीं जा सकता, हाँ मिटाया जा सकता है। लेकिन इस दिशा में पहल 2019 सेप हले संभव नहीं।

'आस्थावादी' लम्पटता का निरंतर आयोजन इतना खर्चीला खेल भी नहीं कि इसे मोदी से स्वतंत्र,वर्तमान लय पर चलाया न जा सके। आखिर, मीडिया में लाठियां भांजते दिखने वाले हिंदुत्व के स्वयंसेवक, न्यूनतम दिहाड़ी पर काम करने वाले गांवों-कस्बों के बेरोजगार युवक ही तो हैं।

उपरोक्त दोनों तत्वों से भी बढ़कर काम करता है तीसरा तत्व यानी कानूनी दबाव का अभाव। अव्वल तो मुकदमे ही दर्ज नहीं होते, जब तक मामला मीडिया या राजनीति में तूल न पकड़ ले। गिरफ्तारी हो गयी तो साथ की साथ जमानत हो जायेगी। सजा कभी नहीं।सोचिये, जवाबदेही का ऐसा भय मुक्त परिदृश्य!

क्या गोडसे को दफ़न कर पायेंगे मोदी? प्रथम भाजपा प्रधानमंत्री वाजपेयी का गोडसे क्षण 2002 में आया था जब वे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम पोग्राम के लिए बर्खास्त करने से चूक गए, और नतीजतन 2004 में सोनिया-राहुल की नौसिखिया जोड़ी के हाथों उन्हें पराजय मिली। भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना गोडसे क्षण गंवाना इसी तरह महंगा न पड़े!

(साभार,जनज्वार)